मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं अन्य सम्बन्धित के साथ राज्य के एयरपोर्टस के भूमि सम्बन्धी मामलों से सम्बन्धित बैठक दिनांक 05 जनवरी, 2018 का कार्यवृत्त:-

उपस्थिति-

1. श्री एस0 पी0 गोयल, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. श्री धीरज साहू, आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. श्री पंकज यादव, सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. सुश्री रितु माहेश्वरी, जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
6. श्री सूर्य पाल गंगवार, विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. श्री गौरव दयाल, जिलाधिकारी, आगरा।
8. श्री अभिषेक प्रकाश, विशेष सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. श्री डी0वी0 सिंह, निदेशक, भूमि अध्यासि, लखनऊ।
10. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, विशेष सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. श्री देवीदास, विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. श्री उदय राज सिंह, नगर आयुक्त, लखनऊ।
13. श्री संजय कुमार उपाध्याय, विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
14. श्री सुधीर रहेजा, सदस्य (प्लानिंग), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली।
15. श्री आई0 एन0 मूर्ति, सदस्य (ऑपरेशन्स), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली।
16. श्री विनोद कुमार पुनियाल, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली।
17. श्री ए0 के0 शर्मा, एयरपोर्ट डायरेक्टर, लखनऊ।
18. श्री राजपाल सिंह, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
19. श्री एस0पी0 राय, अपर जिलाधिकारी(भूमि अध्यासि),लखनऊ।
20. श्री एस0 ए0 सिद्दीकी, विशेष भूमि अध्यासि अधिकारी, बरेली।
21. श्री आर0 एम0 गुप्ता, महाप्रबन्धक, सेतु निर्माण निगम, लखनऊ।
22. श्री के0ए0 सिंघल, अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास विकास परिषद।
23. श्री समीर वर्मा, अपर जिलाधिकारी(भूमि अध्यासि),कानपुर नगर।
24. श्री जे0आर0 चौधरी, विशेष भूमि अध्यासि अधिकारी, इलाहाबाद।
25. श्री शैलेन्द्र भाटिया, विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
26. सुश्री मीना भार्गव, महाप्रबन्धक (नियोजन), यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(A) हिन्डन एयरबेस को आर0सी0एस0 उड़ानों को लिए उपयोगी बनाया जाना:-

1- दिल्ली स्थित इन्दिरा गॉधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री भार को कम करने के लिए गाजियाबाद में हिन्डन एयरबेस का विकास करके आर0सी0एस0 उड़ानों के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया गया है जिसमें उनके द्वारा एक अस्थाई सिविल एन्क्लेव बनाए जाने हेतु आवश्यक भूमि की मांग की गई है। इस निमित्त कुल 5.70 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें से कुछ भूमि किसानों की है एवं कुछ भूमि आवास विकास परिषद की है, जिसे लीज पर लेकर सिविल एन्क्लेव विकसित किया जाना है। बैठक में निर्णय लिया गया कि आवास विकास परिषद की भूमि को उसी दर पर लीज पर दिया जाए जिस पर निकटवर्ती किसान अपनी भूमि उपलब्ध करा रहे हैं। यह निर्णय भी लिया गया की आवास विकास परिषद द्वारा इस आशय का सहमति पत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को तत्काल भेज दिया जाए तथा सक्षम स्तर से औपचारिक स्वीकृति शीघ्र प्राप्त कर ली जाए।

(आवास आयुक्त/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)

2- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से यह अपेक्षा की गई कि हिन्डन एयरबेस को आर0सी0एस0 एयरपोर्ट की सूची में सम्मिलित किया जाए ताकि एम0ओ0यू0 के अनुसार अन्य आर0सी0एस0 एयरपोर्ट की भाँति इसके विकास के लिए राज्य सरकार से वांछित अपेक्षाएँ पूर्ण की जा सकेंगी। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि हिन्डन एयरबेस को आर0सी0एस0 के लिए उपयोग किए जाने हेतु भारतीय वायुसेना/ रक्षा मंत्रालय से कुछ समय के लिए ही लीज पर लिए जाने की अनुमति प्रदान की गई है, अत: हिन्डन को नियमित आर0सी0एस0 एयरपोर्ट में सम्मिलित करने में कठिनाई होगी। निर्णय लिया गया कि RCS स्कीम के अंतर्गत हस्ताक्षरित MOU के अनुसार हिन्डन एयरबेस से/के लिए संचालित होने वाली कुल RCS उड़ानों में से उत्तर प्रदेश स्थित एयरपोर्ट्स पर उड़ानों की संख्या के समानुपात में व्यय के अंश का वहन ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।

(प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन/ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)

3- कुल मिलाकर यह निर्णय हुआ कि हिंडन में अस्थाई सिविल एन्क्लेव तथा आवश्यक सड़क मार्ग के हेतु किसानों तथा आवास विकास परिषद की भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लीज पर ली जाएगी। सड़क निर्माण, एयरपोर्ट सुरक्षा, फायर सर्विसेज व अन्य सुविधाएं जो राज्य सरकार से वांछित हैं, उन पर होने वाला व्यय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रुप से वहन किया जाए। राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला अंश हिंडन एयरबेस से संचालित होने वाली कुल आरसीएस हवाई सेवाओं में से उत्तर प्रदेश में

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हवाई सेवाओं के अनुपात में होगा व शेष व्यय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा।

(प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन/ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)

(B) लखनऊ एयरपोर्ट:-

1- जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि हवाई अड्डें के विस्तारीकरण हेतु वांछित लगभग 69 एकड़ भूमि के AAI के मास्टर प्लान/ले-आउट प्लान को रेवेन्यू मैप पर सुपर इंपोज कर लिया गया है और इसकी संशोधित लागत 390 करोड़ (पूर्व में प्रेषित 500 करोड़ के स्थान पर) है। विस्तृत प्रस्ताव तथा गाटावार भूमि का विवरण AAI तथा जिलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्धारित प्रपत्र पर शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। निर्णय लिया गया कि AAI के लखनऊ एयरपोर्ट के प्रस्तावित मास्टर प्लान/ले-आउट प्लान को रेवेन्यू मैप पर सुपरइंपोज कर गाटावार भूमि का विवरण पूर्व प्रेषित प्रपत्र पर AAI तथा जिलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाए ।

(जिलाधिकारी, लखनऊ/ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)

2- मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 02.11.2017 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावित 69.59 एकड भूमि के क्रय का जो प्रस्ताव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा दिया गया था, जिस पर राज्य सरकार के द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि इस भूमि के क्रय के लिए लगभग रूपये 500 करोड़ की आवश्यकता है, जिसमें 50 प्रतिशत धनराशि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा वहन की जाएगी और 50 प्रतिशत राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार द्वारा यह विकल्प दिया गया था कि यदि 50 प्रतिशत धनराशि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा उपलब्ध कराए जाने में कठिनाई हो, तो लखनऊ एयरपोर्ट की कानपुर हाईवे के समीप भूमि monetize जा सकता है। AAI द्वारा वांछित लगभग 69 एकड भूमि को वैल्यू एक्सचेंज के आधार पर राज्य सरकार को उपलब्ध कराने की सहमति प्रदान की गई है तथा अवगत कराया गया है कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस-वे पर चिन्हित भूमि राज्य सरकार के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

3- निर्णय लिया गया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली भूमि को लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित कराए जाने का प्रस्ताव है। अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्रस्तावित भूमि के वैल्यूएशन संबंधी सहमति एक सप्ताह में प्राप्त कर ली जाए। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा AAI से मिलने वाली भूमि की आंकलित वैल्यू सीधे जिलाधिकारी, लखनऊ को AAI द्वारा वांछित भूमि को क्रय करने हेतु उपलब्ध करा दी जाए तथा अवशेष धनराशि नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा विभागीय बजट से उपलब्ध कराई जाए।

(लखनऊ विकास प्राधिकरण/जिलाधिकारी, लखनऊ/
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/नागरिक उड्डयन विभाग)

4/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- शहीद पथ से लखनऊ एयरपोर्ट को जोड़े जाने वाले वैकल्पिक मार्ग के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित मार्ग में एक तालाब आ रहा है और शहीद पथ से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एलिवेटेड रोड के निर्माण की लागत काफी अधिक आ रही है जिस कारण इसका पुन: आकलन कराया जा रहा है जिससे इसकी लागत कम की जा सके। लोक निर्माण विभाग की ओर से बताया गया कि मार्ग के निर्माण का DPR 31 जनवरी, 2018 तक तैयार कर लिया जाएगा। निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा इस मार्ग का निर्माण किया जाएगा तथा इस हेतु भूमि क्रय तथा निर्माण की लागत लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय बजट से वहन की जाएगी। यह भी सुझाव दिया गया की यथासंभव Prefabricated स्ट्रक्चर द्वारा मार्ग के निर्माण पर विचार कर लिया जाए ताकि निर्माण स्थल पर जनसामान्य को कम से कम असुविधा हो ।

(प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग)

5- लखनऊ एयरपोर्ट की जल निकासी हेतु नगर निगम लखनऊ द्वारा रू0 4971.98 लाख का आगणन उपलब्ध कराया गया है। निर्णय लिया गया कि नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा इस कार्य हेतु आवश्यक धनराशि अपने विभागीय बजट से वहन की जाए तथा जल निकासी हेतु कार्य तत्काल प्रारंभ कराया जाए। यह निर्णय लिया गया कि इस कार्य/ नाले का स्वामित्व नगर निगम का ही होगा तथा भविष्य में इसका रखरखाव/ मेन्टेनैन्स नगर निगम लखनऊ द्वारा ही कराया जाएगा।

(प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग)

6- मुख्य सचिव महोदय द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से दिनांक 21 एवं 22 फरवरी, 2018 को लखनऊ में होने वाले उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई कि इस समिट में वायुयान द्वारा आने वाले अतिथियों के लखनऊ आगमन को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए। प्राधिकरण द्वारा आश्वस्त किया गया कि एयरपोर्ट के पहुंच मार्ग पर सौंदर्यकरण, प्रकाश, साफ सफाई, लैंड स्केपिंग समेत समस्त आवश्यकताए उनके द्वारा पूर्ण करा दी जाएंगी।

(भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)

(C) इलाहाबाद एयरपोर्ट:-

1- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास/भूमि पूजन दिनांक 18 जनवरी, 2018 को किया जाना प्रस्तावित है । तिथि निर्धारित होने पर राज्य सरकार को सूचित किया जाएगा। सिविल एन्क्लेव को पूर्ण करने का लक्ष्य अक्टूबर, 2018 निर्धारित है। इस निर्माण कार्य के लिए टेंडर के माध्यम से कार्य आवंटित किया जा चुका है।

(भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)

5/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इलाहाबाद सिविल एन्क्लेव के निर्माण में भारतीय वायुसेना की लगभग 9 है0 भूमि में से कुछ भूमि सिविल एन्क्लेव के अन्तर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दी जानी है तथा कुछ भूमि पर लोक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण हेतु दी जानी है। इस पर प्राधिकरण को आपत्ति नहीं है। यह अपेक्षा की गई कि रक्षा मंत्रालय से प्रदत्त सहमति को देखते हुए जिलाधिकारी उपयुक्त निर्णय लें तथा 1 सप्ताह में प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराएं।

(जिलाधिकारी, इलाहाबाद)

3- निर्णय लिया गया कि भारतीय वायुसेना की भूमि के Mutation की कार्यवाही शीघ्र की जाए। AAI के इलाहाबाद एयरपोर्ट के (***1.****सिविल एंक्लेव* ***2.*** *ILS Cat-1*) हेतु प्रस्तावित मास्टर प्लान/ ले-आउट प्लान को रेवेन्यू मैप पर सुपरइंपोज कर गाटावार भूमि का विवरण पूर्व प्रेषित प्रपत्र पर AAI तथा जिलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाए।

(जिलाधिकारी, इलाहाबाद/ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)

4- निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी इलाहाबाद द्वारा सिविल एन्क्लेव की भूमि से विद्युत पोल आदि यूटिलिटी शिफ्ट करने के लिए तत्काल आगणन तैयार करा कर शासन को प्रेषित किया जाए।

(जिलाधिकारी, इलाहाबाद)

(D) आगरा एयरपोर्ट:-

1- जो भूमि सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तान्तरित की जा चुकी है, वहां बिल्डिंग के निर्माण कार्य को प्रारंभ किया जा सकता है। अत: भूमि पूजन के सम्बन्ध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जाए। इस सम्बन्ध प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि संशोधित मास्टर प्लान जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, AAI प्राप्त हो चुकी भूमि पर निर्माण कार्य इस शर्त के साथ प्रारंभ कर सकता है कि AAI को राज्य सरकार द्वारा इस आशय का एक Letter of Comfort जिलाधिकारी की ओर से दे दिया जाए कि अवशेष भूमि शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के इस प्रस्ताव से सहमत होते हुए तदनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

(भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/ जिलाधिकारी, आगरा)

2- जिलाधिकारी, आगरा द्वारा बताया गया भूमि क्रय हेतु पूर्व प्रेषित आगणन को संशोधित करने की आवश्यकता होगी । निर्देश दिए गए कि संशोधन के औचित्य के साथ आगणन को संशोधित कर शासन को तत्काल प्रेषित कर दिया जाए। विभाग द्वारा संशोधित आगणन का परीक्षण कर आवश्यक धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही की जाए ।

(प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन/ जिलाधिकारी, आगरा)

6/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- निर्णय लिया गया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के आगरा एयरपोर्ट के संशोधित मास्टर प्लान/ले-आउट प्लान को रेवेन्यू मैप पर सुपरइंपोज कर गाटावार भूमि का विवरण पूर्व प्रेषित प्रपत्र पर AAI तथा जिलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाए ।

(जिलाधिकारी, आगरा/ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)

(E) कानपुर एयरपोर्ट:-

1- जिला प्रशासन की ओर से अवगत कराया गया कि सिविल एन्क्लेव के चिन्हित अधिकांश भूमि का क्रय करके प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जा चुकी है। शेष भूमि को उनके द्वारा हस्तगत नहीं किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि उनके मुख्यालय के स्तर से निर्देश प्राप्त होने पर एक विशेष फार्मेट पर भूमि विवरण प्राप्त होने पर भूमि प्राप्त की जाएगी। इस पर मुख्य सचिव द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए यह निर्देश दिए गए कि तत्काल हस्तान्तरण पूर्ण कराया जाए।

(भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)

2- निर्णय लिया गया कि ले-आउट प्लान में आ रहे सम्पर्क मार्ग के विकल्प हेतु बाउण्ड्री वाल के बाहर किनारे-किनारे उक्त संपर्क मार्ग का निर्माण करा दिया जाए और इस हेतु जितनी भूमि एप्रोच रोड के लिए आवश्यक है उतनी भूमि छोड़ते हुए बाउण्ड्री वाल अन्दर की ओर शिफ्ट करते हुए ले-आउट प्लान रिवाइज कर लिया जाए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संशोधित ले-आउट प्लान जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा ।

(भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)

3- निर्णय लिया गया कि AAI के कानपुर एयरपोर्ट के संशोधित मास्टर प्लान/ले-आउट प्लान को रेवेन्यू मैप पर सुपरइंपोज कर गाटावार भूमि का विवरण पूर्व प्रेषित प्रपत्र पर AAI तथा जिलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाए ।

(जिलाधिकारी, कानपुर/ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)

(F) बरेली एयरपोर्ट:-

1- जिला प्रशासन द्वारा सिविल एन्क्लेव के निर्माणार्थ भूमि क्रय हेतु उपलब्ध कराए गए प्रस्तावानुसार देय धनराशि पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। सम्प्रति कार्यवाही प्रशस्त है।

2- निर्णय लिया गया कि टैक्सी ट्रैक के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संशोधित ले-आउट प्लान क अनुसार भूमि के चिन्हांकन/लागत का आगणन/स्वीकृति आदि की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित की जाए।

7/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. निर्णय लिया गया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बरेली एयरपोर्ट के संशोधित मास्टर प्लान / ले-आउट प्लान को रेवेन्यू मैप पर सुपरइंपोज कर गाटावार भूमि का विवरण पूर्व प्रेषित प्रपत्र पर AAI तथा जिलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाए ।

(जिलाधिकारी, बरेली/ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)

(G) जेवर एयरपोर्ट:-

1- महायोजना का भू-उपयोग संशोधन के सम्बन्ध में कार्यवाही औद्योगिक विकास विभाग द्वारा की जा रही है।

2. यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी द्वारा जेवर प्रोजेक्ट के डीपीआर/TEFR हेतु Price water house Coopers (PwC) कंसल्टैन्ट के तौर पर चयनित किया जा चुका है।

3. जिलाधिकारी तथा यमुना एक्सप्रेस वे डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व/ डायरेक्टर लैंड एक्वीजीशन को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत शासन स्तर से सोशल इम्पैक्ट एसेसमेंट (SIA) हेतु एजेंसी नामित करने का अनुरोध किया गया है।

4. यह सुझाव दिया गया भूमि अधिग्रहण अधिनियम में प्रावधानित सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी (Social Impact Assessment Study) के लिए उसी क्षेत्र के समीप स्थित गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा को नामित किया जा सकता है। यह निर्णय लिया गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम में प्रावधानित सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी (Social Impact Assessment Study) करने के लिए गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा को नामित किया जाता है। राजस्व विभाग द्वारा इसका औपचारिक आदेश निर्गत किया जाएगा। Social Impact Assessment Study को 60 दिन में पूर्ण कर राजस्व विभाग को रिपोर्ट सौंपी जाएगी तथा इस पर होने वाला व्यय राजस्व विभाग/ निदेशक भूमि अध्याप्ति द्वारा वहन किया जाएगा।

5. राजस्व विभाग से यह अपेक्षा भी की गई कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत शासन स्तर पर गठित होने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का विशेषज्ञ समूह द्वारा अंकन (Appraisal of Social Impact Assessment report by multi-disciplinary Expert Group) हेतु एक स्वतंत्र बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह का गठन तत्काल कर दिया जाए। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी सोशल इंपेक्ट असेसमेंट स्टडी (Social Impact Assessment Study) की रिपोर्ट 15 मार्च 2018 तक राजस्व विभाग को सौंप देगी तथा 30 मार्च 2018 तक यह समिति/विशेषज्ञ समूह इसका अप्रेजल कर जिलाधिकारी को प्रेषित कर देगी।

6. राजस्व विभाग से यह अपेक्षा भी की गई कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक एजेंसीज यथा सोशल इंपेक्ट एसेसमेंट (SIA) एजेंसी आदि का पैनल तत्काल तैयार कर लिया

8/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाए जिससे कि किसी प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होने पर इम्पैनल्ड एजेंसी में से किसी एक का चयन कर कार्यवाही की जा सके और प्रोजेक्ट में अनावश्यक विलंब ना हो।

(प्रमुख सचिव राजस्व/निदेशक (भूमि अध्याप्ति)

बैठक सधन्वाद समाप्त हुई।

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।
नागरिक उड्डयन विभाग
संख्या: 03/2018/70/छप्पन-2018-08/13
लखनऊ : दिनांक : 09 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. बैठक मे उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
3. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
4. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
6. निजी सचिव, विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन को विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।